न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 85/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/233

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
विकास अधिकारी पंचायत समिति, रानी स्टेशन, जिला पाली		1. सरपंच, ग्राम पंचायत ढारिया। 2. बिहारीसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढारिया।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक : 05/06/2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.11.1976 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 बिहारीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 11.02.1991 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने पद पर रहते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 256 से 271 में दी गई प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा गैर मुमकिन ओरण खसरा संख्या 371 में जारी किया है तथा उक्त पट्टे की चारो दिशाए व माप, मौके की स्थिति से मिलान नहीं करती है एवं पीएलपीसी में दर्ज प्रकरण के सम्बन्ध में पटवारी हल्का ढारिया द्वारा प्रस्तुत टीपी रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टा खसरा संख्या 371 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि में स्थित है। इस प्रकार विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करावे तथा जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध रूप से जारी करने के कारण खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत ढारिया द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.11.1976 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 बिहारीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 11.02.1991 के विरूद्ध पेश की गई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि गोचर है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज नियम दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी, रानी के पत्र दिनांक 29.08.2023 एवं उसके संलग्न तहसीलदार रानी की रिर्पोट अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 371 किस्म गै.मु.गोचर में जारी किया गया है और वर्तमान में मौके पर पक्का आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से भिन्न गोचर की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 – विक्रय की शक्ति से आबादी भूमि के कतिपय प्रवर्गों का अपवर्जन के उपनियम 3 के तहत "पंचायत सर्किल के भीतर चारागाह भूमियों का और आबादी के विस्तार के लिए अकृष्य बंजर भूमियों का आवंटन, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से शासित होगा।" साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत भी गैर मुमकिन गोचर किस्म की भूमि, अन्य प्रयोजनार्थ हेतु प्रतिबंधित है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 11.02.1991 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने के प्रावधान उल्लेखित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 256 से 269 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड भी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं होना, हस्तगत पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। नियम 266 में निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। जैर निगरानी पट्टा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा किसी भी रूप में इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 सन्दर्भित नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है या नही ? जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट में यह पाया है कि जैर निगरानी पट्टा प्रतिबंधित भूमि में जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2023/RJJD/010979 टीकुराम गुर्जर बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है।" जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रूप में पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.11.1976 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 बिहारीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 11.02.1991 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली